



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Chaudhary Charan Singh University, Meerut

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (N.E.P-2020) के अन्तर्गत बहु विषयक स्नातक (बी०ए०/बी०एससी०/बी०कॉम०)
हेतु नियम
(सत्र 2025-26 से लागू)

ग्रेडिंग तालिका (Grading Table)

लेटर ग्रेड	विवरण	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A ⁺	Excellent	81-90	9
A	Very good	71-80	8
B ⁺	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	0

2. उत्तीर्ण प्रतिशत

- मुख्य (major) एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) Credit Course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 33 ही होगा।
- सह-पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) एवं लघु शोध परियोजना (minor research project) के उत्तीर्णांक भी 33% होंगे।
- स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से सम्बन्धित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा।
- कौशल विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा। जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/ प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। प्रशिक्षण/ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग-अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।
Vocational/Skill Development विषयों की परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा न करवाकर सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा करवाया जायेगा। ऐसे छात्र जिनके Skill Development पाठ्यक्रम में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, की उत्तर पुस्तिका कारण सहित विश्वविद्यालय में भेजना अनिवार्य होगा।
- सभी विषयों के मुख्य/माइनर के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।
- मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।
- प्रयोगात्मक, को-करिकूलर तथा लघुशोध परियोजना में आन्तरिक परीक्षाएँ आयोजित नहीं करायी जायेंगी।
- किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।
- प्रत्येक सेमेस्टर में अधिकतम 05 अंको के कृपांक (Grace Marks) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सैद्धान्तिक परीक्षा में किन्ही भी अधिकतम तीन पेपर कोड में वितरित कर प्रदान किये जायेगे। (विद्वत् परिषद की बैठक दिनांक 02.09.2025 मद संख्या 12(8))

[Handwritten signatures and dates]
17/10/26
17/10/2026

क्रमशः.....02

- 2.10 यदि कोई छात्र/छात्रा मेजर/माइनर विषयों की विश्वविद्यालय परीक्षा (वाह्य परीक्षा) में न्यूनतम निर्धारित 25 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो परीक्षा परिणाम में वाह्य परीक्षा के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।
- 2.11 यदि कोई छात्र/छात्रा मेजर/माइनर विषयों की वाह्य परीक्षा एवं आन्तरिक परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षा के योग के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।

3. कक्षोन्नति (Promotion)

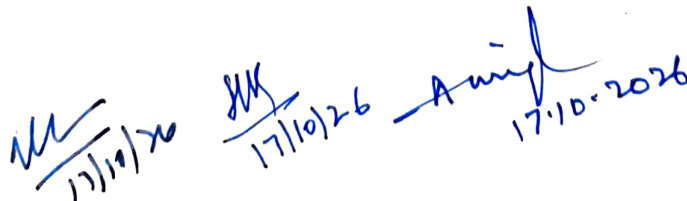
- 3.1 विद्यार्थी को वर्तमान सेमेस्टर से अगले सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

4. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

- 4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किंतु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।
- 4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी। उत्तीर्ण विषयों में अंक सुधार (improvement) की सुविधा नहीं होगी। श्रेणी सुधार हेतु विद्यार्थी नेट उत्तीर्ण करने अथवा पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त होने के 02 वर्ष की अवधि के भीतर किसी एक सेमेस्टर की सम्पूर्ण वाह्य सैद्धान्तिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। बैक पेपर/श्रेणी सुधार परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो तत्समय संचालित सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।
- 4.3 सी0बी0सी0एस0 प्रणाली में पूर्ण सेमेस्टर के सभी पेपर्स में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी पूर्ण सेमेस्टर की परीक्षा देगा। यदि विद्यार्थी ने कुछ पेपर उत्तीर्ण कर लिए हैं तो भविष्य के सेमेस्टर के साथ विद्यार्थी को उन्हीं पेपर्स की परीक्षा बैक पेपर के रूप में उत्तीर्ण करनी होगी जिन पेपर्स में वह पहले अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण रहा था।
- 4.4 प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में अधिकतम 18 क्रेडिट तथा द्वितीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर में अधिकतम 12 क्रेडिट के कोर्सेज में बैक पेपर अनुमत होगा। इससे अधिक क्रेडिट के कोर्सेज में अनुत्तीर्ण होने पर बैक पेपर अनुमत नहीं होगा। उदाहरणार्थ—तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत् विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ प्रथम सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के पेपर कोड की बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमत होगा।
- 4.5 ऐसे छात्र/छात्रा जो प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होते हैं, को बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होकर प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनुमत होगा।
- 4.6 चूंकि पंचम एवं प्रथम सेमेस्टर तथा छठे एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएँ एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित होती हैं इसलिये पंचम सेमेस्टर एवं छठे सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के बैक पेपर में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। ऐसे छात्र जो पंचम एवं छठे सेमेस्टर तक भी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, को छठा सेमेस्टर पूर्ण कर लेने के पश्चात् ही प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

5. काल अवधि

03 वर्ष की रनातक उपाधि अधिकतम 06 वर्ष में पूर्ण की जा सकेगी।

 17/10/20 17/10/26 17.10.2026

6. SGPA एवं CGPA की गणना

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगी:-

jth सेमेस्टर के लिए $SGPA (S_j) = \sum(C_i \times G_i) / \sum C_i$	यहाँ पर: C_i = number of credits of the i th course in j th semester. G_i = grade point scored by the student in the i th course in j th semester.
$CGPA = \sum(C_j \times S_j) / \sum C_j$	यहाँ पर: S_j = SGPA of the j th semester. C_j = total number of credits in the j th semester.

6.2 CGPA को प्रतिवर्ष अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा:

$$\text{समतुल्य प्रतिवर्ष} = CGPA \times 9.5$$

6.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी:

श्रेणी तालिका (Division Table)

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

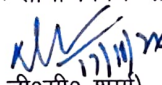
6.4 SGPA एवं CGPA की गणना छात्र/छात्रा द्वारा परीक्षा फार्म में भरे गये पेपर्स के कुल ग्रेड वैल्यू को कुल क्रेडिट से भाग देकर की जायेगी।

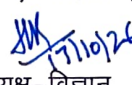
7. नवीन व्यवस्था में माईनर विषय के रूप में एन0सी0सी0 का चयन करना अनुमत नहीं होगा।

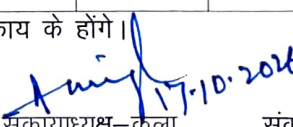
Course Structure Table

Year	Sem	Major 1	Major 2	Minor	Skill dev. course	Co-curricular course	Minor research project	Total credits
1	1	Th-1 (06 cr) or Th (4 Cr)+ Pr (2 Cr)	Th-1 (06 cr) or Th (4 Cr)+ Pr (2 Cr)	Th-1 (06 cr) or Th (4 Cr)+ Pr (2 Cr)	1 (3 Cr)	1 (2 Cr)	-	23 Cr
	2	Th-1 (06 cr) or Th (4 Cr)+ Pr (2 Cr)	Th-1 (06 cr) or Th (4 Cr)+ Pr (2 Cr)	-	1 (3 Cr)	1 (2 Cr)	-	17 Cr
2	3	Th-1 (06 cr) or Th (4 Cr)+ Pr (2 Cr)	Th-1 (06 cr) or Th (4 Cr)+ Pr (2 Cr)	Th-1 (06 cr) or Th (4 Cr)+ Pr (2 Cr)	1 (3 Cr)	1 (2 Cr)	-	23 Cr
	4	Th-1 (06 cr) or Th (4 Cr)+ Pr (2 Cr)	Th-1 (06 cr) or Th (4 Cr)+ Pr (2 Cr)	-	-	1 (2 Cr)	1 (3 Cr)	17 Cr
3	5	Th-2 (05 cr) or Th-2 (4 Cr)+ Pr-1 (2 Cr)	Th-2 (05 cr) or Th-2 (4 Cr)+ Pr-1 (2 Cr)	-	-	-	-	20 Cr
	6	Th-2 (05 cr) or Th-2 (4 Cr)+ Pr-1 (2 Cr)	Th-2 (05 cr) or Th-2 (4 Cr)+ Pr-1 (2 Cr)	-	-	-	-	20 Cr

नोट : तीनों विषय— Major 1, Major 2 एवं Minor एक ही संकाय के होंगे।


(प्रो० डी०सी० शर्मा)
प्राणि विज्ञान


संकायाध्यक्ष—विज्ञान


संकायाध्यक्ष—कला

संकायाध्यक्ष—वाणिज्य